प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईंस, ग्राम-सुन्दरा, जी.ई. रोड़, राजनांदगांव (छ.ग.) में संचालित आयुर्वेद स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम हेतु फीस का निर्धारण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है।

संकल्प दिनांक 21/11/2024

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है।
2. ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईंस, ग्राम-सुन्दरा, जी.ई. रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) में संचालित आयुर्वेद स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम हेतु फीस का निर्धारण शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए अंतिम रूप से किया जा रहा है।
3. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत और प्रदेश में पूर्व में गठित इस समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9 (1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka) के प्रकरणमें शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु

वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of theinstitution, investment made, futureplan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.

198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.

5. इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं:-

56. ..... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per

qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money .....

57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence ineducation, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

6. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A. Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा-92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

92."Education, accepted as a useful activity, whether for charity orfor profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है:-

175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrancetest conducted by the State and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR 2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to

promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

8. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि:-

1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति :

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति:

(ग) भूमि और भवन का मूल्य:

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्कर:

(ड.) प्रशाासन तथा संधारण पर व्यय:

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य:

(छ) कोई अन्य सुसंगत कारक :

9. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. के सदस्य द्वारा उपरोक्त निजी संस्था का

निरीक्षण भी किया गया। संबंधित संस्था, छात्र एवं पालकों को समुचित सुनवाई का अवसर भी दिया गया।

10. दिनांक 18.11.2024 को समिति द्वारा महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईंस, ग्राम-सुन्दरा, जी.ई. रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीन सुशांतो कुमार नंदी मिले एवं समिति के अध्यक्ष श्री पारख भी मिले। उन्होंने अपनी ओर रूपये 8,69,651.00 फीस प्रस्तावित की है, उसके संबंध में यह तथ्य बताया गया कि फेकल्टी और अतिरिक्त मानव संसाधन के लिए उन्हें अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ती है, ताकि अच्छे शिक्षक छात्रों के लिए उपलब्ध हो सके तथा नवीन वेतनमान जो कि पूर्व के वेतनमान की तुलना में लगभग दुगुना है वह उन्हें शिक्षकों को देना है नहीं तो अच्छे शिक्षक संस्था में आने को तैयार ही नहीं होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने अपने संचालन हेतु लोन भी लिया है और उस लोन पर ब्याज के रूप में राशि अदा करनी है तथा यह लोन अधोसंरचना आदि को व्यवस्थित रखने के लिए, आवश्यक उपकरण क्रय करने के लिए, पुस्तकालय में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए, छात्रों की सुख/सुविधाओं के लिए राशि व्यय की गयी है, इसलिए उक्त आधार पर उन्होंने फीस रूपये 8,69,651/- निर्धारित किए जाने का अनुरोध किया है।

11. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के उपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि उपर PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923) वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है। यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था । उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है। संस्था को

अपने स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए। इस तरह के कोई भी व्यय छात्रों के उपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि उपर वर्णित न्याय दृष्टांतों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

12. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जार ही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा के लिए निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी। यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

13. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा जरूरी आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण शीर्ष है, वह निम्नानुसार माने जा सकते हैं:-

<u>Promiment Heads (महत्वपूर्ण शीर्ष)</u>

1. Teaching staff expenditure
2. Non-Teaching Staff expenditure
3. Workshop consumable
4. Electricity expenditure
5. Telephone, internet and softwares
6. Water and & Cleaning expenditure
7. Travel & Conveyance
8. Repairing & Maintenance
9. Operation & Administrative expenses
10. Printing, Postage and Stationary
11. Insurance, Tax

12. Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)
13. Educational Tour exp.
14. Sports & NSS
15. Annual social exp.
16. Research & Development
17. Other misc. expenses

14. ए.एफ.आर.सी. द्वारा अधिनियम, 2008 की धारा-9 में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए संस्था का भ्रमण किया गया, ताकि संस्था को उचित प्रोत्साहन राशि (इंसेटिव) भी दिया जा सके। प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए समिति ने तीन श्रेणियां निर्धारित की है। (अ) बहुत अच्छा (Very Good) , (ब) अच्छा (Good), (स) औसत या साधारण(Average) ।

15. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सकें। अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रतिव्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालयों ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें। अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्ति संगत होगा। अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण किया जा रहा है।

16. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो Observation (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार है:-

"While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education"

17. छ.ग. राज्य चूंकि पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य का ही भाग रहा है। अन्य पड़ोसी राज्य जैसे मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र में आयुर्वेद स्नात्कोत्तर कोर्स के लिए जो फीस निर्धारित की गयी है उसका भी यहां पर वर्णन किया जाना तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक है।

फीस का तुलनात्मक विवरण राज्यों के बीच निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का निर्धारण किया गया	कुलफीस
1	YMT AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE, KHARGHAR, NAVI MUMBAI	2024-2025	2,63,000
2	BSDTS AYURVED MAHAVIDYALAYA, WAGHOLI, PUNE	2024-2025	1,58,000
3	PUNE DISTRICT EDUCATION ASSOCIATION'S, COLLEGE OF AYURVED & RESEARCH CENTRE	2024-2025	2,51,000
4	MAHARASHTRA AROGYA MANDAL'S SUMATIBHAI SHAH AYURVED MAHAVIDYALAYA, HADAPSAR, PUNE.	2024-2025	1,83,000
5	YASHWANT AYURVEDIC MAHAVIDYALAYA, KODOLI, PANHALA, KOLHAPUR	2024-2025	1,91,000
6	LATE KEDARI REDEKAR AYURVEDIC COLLEGE, GADHINGLAJ, KOLHAPUR	2024-2025	1,97,000
7	SANGAM SEVABHAVI TRUSTS AYURVEDIC COLLEGE, SANGAMNER, AHMEDNAGAR	2024-2025	2,58,000
8	SHRI VIVEKANAND NURSING HOME TRUST'S AYURVED MAHAVIDYALAYA,SHRISHIVAJINAGAR, RAHURI, AHMEDNAGAR	2024-2025	1,56,000
9	PRAVARA MEDICAL TRUST'S AYURVED COLLEGE, SHEVGAON.	2024-2025	1,37,500
10	SIDDHAKALA AYURVED MAHAVIDYALAYA, SANGAMNER	2024-2025	2,15,000
11	SHREE SAPTASHRINGI AYURVED MAHAVIDYALAYA & HOSPITAL, PANCHAVATI, NASHIK	2024-2025	2,00,500

12	ASHWIN RURAL AYURVED COLLEGE, SANGAMNER, AHMEDNAGAR	2024-2025	1,87,000
13	LOKNETE RAJARAM PATIL AYURVEDIC MAHAVIDYALAYA, ISLAMPUR, WALWA, SANGLI	2024-2025	2,04,000
14	B. MULAK AYURVED MAHAVIDYALAYA AND MEDICAL SCIENCE, NAGPURGREAT NAG ROAD, NANDANWAN, NAGPUR-44009	2024-2025	2,89,000
15	DR. VANDANATAI J. DHONE GRAMIN AYURVED MAHAVIDYALAYA, AKOLA	2024-2025	2,00,000
16	CSMSS AYURVED MAHAVIDYALAYA, AURANGABAD	2024-2025	3,03,000
17	LATE B.V.KALE AYUVED MEDICAL COLLEGE& HOSPITAL, LATUR	2024-2025	1,82,000
18	S.M.B.T. AYURVED COLLEGE, NASHIK	2024-2025	3,17,000
19	MES AYURVED MAHAVIDYALAYA	2024-2025	2,58,000
20	MATOSHRI ASARABAI DARADE AYURVED COLLEGE, BABHULGAON	2024-2025	1,79,000
21	SHREE AYURVEDA MAHAVIDYALAYA	2024-2025	1,40,000
22	RADHAKISAN TOSHNIWAL AYURVED MAHAVIDYALAYA, AKOLA	2024-2025	1,30,000
23	DMM AYURVED MAHAVIDYALAYA, YAVATMAL.	2024-2025	75,000
24	AYURVED MAHAVIDYALAYA, NASHIK	2024-2025	1,10,000
25	RSM'S TILAK AYURVED MAHAVIDYALAYA, PUNE	2024-2025	1,26,500
26	SETRH CHANDANMAL MUTHA ARYANGLA VAIDYAK MAHAVIDYALAYA, SATARA	2024-2025	1,32,000
27	AYURVED MAHAVIDYALAYA, SION, MUMBAI	2024-2025	1,50,000
28	SETH GOVINDJI RAOJI AYURVED MAHAVIDYALAYA	2024-2025	1,15,000
29	Mansarovar Ayurvedic Medical College Hospital Research Center, Bhopal	2024-2025	6,00,000
30	Rani Dullaiya Smriti Ayurved P.G. College & Hospital, Bhopal	2024-2025	3,24,000

18. इस तरह उपर जो पड़ोस के राज्यों की फीस का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार देखा जाए तो मध्यप्रदेश राज्य में अधिकतम फीस रू. **6,00,000/-** एवं न्यूनतम रू. **3,24,000/-**है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम फीस रू. **3,17,000/-** एवं न्यूनतम रू. **75,000/-** है। इसमें कुछ नये कॉलेज भी हैं, जिनकी फीस पुराने कॉलेज की अपेक्षा कम रखी गई है, क्योंकि उतने संसाधन नये कॉलेज में नहीं पाए गये तथा कुछ कॉलेजों की फीस ज्यादा है, क्योंकि फीस के निर्धारण में जो गणक

विचार योग्य है, उसे ही विचार में लिया जाकर फीस का निर्धारण किया जा सकता है।

19. आयुर्वेद स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में फीस निर्धारण हेतु तरीका एवं गणना :-

शिक्षण संस्था के द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखा विवरण और जानकारी के आधार पर सदस्य वित्त ने जो टीप दी है वह निम्नानुसार है :-

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संस्थान को 16 सीट स्नात्कोत्तर आयुर्वेद पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत की गई है, जिनमें 04 सीट रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, 04 सीट कौमारभृत्य-बालरोग, 04 सीट प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग एवं 04 सीट शल्य तंत्र की स्वीकृत हैं। स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम की स्वीकृति उन्हीं आयुर्वेद महाविद्यालयों को प्रदान की जाती है जहां स्नातक पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हो रहे हों। स्नातक पाठ्यक्रम के लिये शिक्षक एवं छात्र अनुपात 3:1 प्रोफेसर हेतु, 2:1 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 1:1 असिस्टेंट प्रोफेसर निर्धारित है। संस्था को 60 सीट स्नातक में स्वीकृत है इस आधार पर कुल 60 असिस्टेंट प्रोफेसर, 30 एसोसिएट प्रोफेसर और 20 प्रोफेसर होने चाहिये थे। स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिये शिक्षक एवं छात्र अनुपात 3:1 प्रोफेसर हेतु, 2:1 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 1:1 असिस्टेंट प्रोफेसर निर्धारित है। इस तरह जो चार कोर्स के लिये स्वीकृति महाविद्यालय को प्राप्त हुई है उस हेतु उस विषय से संबंधित 16 असिस्टेंट प्रोफेसर, 08 एसोसिएट प्रोफेसर और 05 प्रोफेसर अर्थात् कुल 29 टीचिंग स्टॉफ की आवश्यकता होगी। संस्था की ओर से स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम की फीस के निर्धारण के समय टीचिंग फैकल्टी की जो सूची प्रस्तुत की गई थी उसमें 01 डीन, 04 प्रोफेसर, 12 एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर), 17 लेक्चरर, 01 योगा टीचर, 01 बायोस्टेशियन कुल 36 का वर्णन था। अभी जो स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिये फैकल्टी

की सूची प्रस्तुत की गई है उसमें 01 डीन, 04 प्रोफेसर, 12 एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर), 25 लेक्चरर, 01 योगा टीचर, 01 बायोस्टेशियन कुल 44 का वर्णन है। इस तरह संस्था में वर्तमान में 08 लेक्चरर पूर्व की अपेक्षा अधिक हैं लेकिन जो निर्धारित मापदंड है उससे कम ही शैक्षणिक स्टॉफ कॉलेज में है। इस तरह संस्था ने विशेष रूप से बहुत अधिक अतिरिक्त शैक्षणिक स्टाफ भी नियुक्त नहीं किया है। जो बी.ए.एम.एस. कोर्स के लिए उनके पास शैक्षणिक स्टाफ है, उनका ही उपयोग किया जा रहा है, कुछ संख्या अवश्य बढ़ी है उससे आंशिक खर्च वेतन में बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है।

2. महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईंस, ग्राम-सुन्दरा, जी.ई. रोड, राजनांदगांव (छ.ग.) के निरीक्षण के दौरान डीन सुशांतो कुमार नंदी मिले एवं समिति के अध्यक्ष श्री पारख भी मिले। उन्होंने फीस 8,69,651.00 प्रस्तावित की। उपरोक्त संस्था एक यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोसायटी द्वारा संचालित हो रही है और इस समिति का केवल यही एक पाठ्यक्रम नहीं है, वे विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं और खर्चे आदि के संबंध में समिति की बैलेंस शीट ही प्रस्तुत ही करते हैं, प्रत्येक कोर्स का पृथक पृथक विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत लेखा विवरण और अन्य जानकारियां को ए.एफ.आर.सी. के वित्त सदस्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री योगेश वर्ल्यानी द्वारा संबंधित संस्था के व्यय के ऑकड़ों के संबंध में यह उललेख किया गया है कि संस्थाओं की ओर से जो एकाउंट्स प्रस्तुत किया गया है वह पूर्ण नहीं भेजे गये, सदस्य (वित्त) का यह कहना है कि शैक्षणिक संस्थाओं की शुल्क के निर्धारण के लिए जो मुख्य आधार है वह उनका नो-प्राफिट नो-लॉस के आधार पर संस्थान का संचालन होना चाहिए। सदस्य (वित्त) का यह भी कहना है कि शिक्षण

संस्था एक से अधिक कोर्स संचालित कर रहे हैं और जो लेखा उनके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ एकजाई है, उसके आधार पर केवल एक कोर्स के आय और खर्चों को आंकलन किया जाना संभव नहीं है। वैसे भी समिति की बैलेंस शीट वित्तीय वर्ष 2021 में 71,66,302.48 रूपये की हानि बैलेंस सीट में दर्शित है वित्तीय वर्ष 2022 में भी 24,25,069.99 रूपये की हानि होना वर्णित है, वित्तीय वर्ष 2023 में भी 49,21,252.30 रूपये की हानि होना वर्णित है, वित्तीय वर्ष 2024 में भी 93,42,609.18 रूपये की हानि होना वर्णित है। इस आधार पर समिति ने हानि की स्थिति बतायी है। संस्था की आय का साधन छात्रों की फीस बताया गया है। संस्था द्वारा जो विभिन्न कोर्स डेंटल मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज संचालित किये जा रहे हैं उनमें स्वीकृत पूरी सीटें नहीं भर रही हैं। छात्रों की कमी एक प्रमुख वजह है जिसका भार अन्य प्रवेश लेने वाले छात्रों पर नहीं डाला जा सकता है। संस्था की ओर से व्यय के संबंध में टैली डाटा पेनड्राइव में उपलब्ध कराया गया उसके अवलोकन उपरांत सदस्य, वित्त का यह कहना है कि उपलब्ध कराये गए डेटा के अनुसार संस्थान द्वारा किया गया प्रमुख व्यय वेतन भुगतान का ही है लेकिन डेटा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वेतन किसे दिया गया। वेतन प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति का नाम डेटा में दर्ज नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सदस्य, वित्त ने यह भी अवगत कराया कि 36.82 लाखे रूपये के टर्म लोन पर ब्याज का भुगतान दूसरा प्रमुख व्यय मद दिखलायी दिया लेकिन अंतिम खातों में ऐसा कोई टर्म लोन बकाया नहीं दिख रहा है और ऐसी कोई बड़ी संपत्ति भी स्पष्ट नहीं की गई जिसके लिये यह टर्म लोन लिया गया है इसलिये इस टर्म लोन को समुचित नहीं ठहराया जा सकता। लेखों में केवल यह लिखा गया है कि यह राशि "यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया" नामक मूल

संस्था को दी गई, लेकिन इस धन राशि का अंतिम उपयोग स्पष्ट नहीं था। इन खर्चों को छात्रों के उपर नहीं लादा जा सकता है, जैसा कि उपर ही वर्णित किया जा चुका है। शैक्षणिक संस्थायें लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित नहीं की जाना है, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े फीस के निर्धारण के लिए समुचित नहीं है।

3. संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा स्वयं का अस्पताल भी संचालित किया जा रहा है, जिसे अपने व्यय पर ही वे संचालित कर रहे हैं। छात्रों की फीस पर वह आश्रित नहीं है, संस्था को इससे भी आय प्राप्त होती है और इसके लिए जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनका भी उपयोग संस्था द्वारा लिया जाता है, उसमें होने वाले व्यय को फीस में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, बल्कि वह संस्था की आय का ही स्त्रोत है। इस तरह संस्था द्वारा जो व्यय के ऑकड़े प्रस्तुत किया गया है वह काल्पनिक परिलक्षित होते हैं।

4. संस्था की ओर से यह व्यक्त किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की फीस अत्यधिक कम है और उन्होंने फीस लगभग दो-से-तीन गुने किये जाने के तथ्य सुनवाई के समय व्यक्त किये। वैसे भी इसी संबंध में हाल ही में <u>नारायणा मेडिकल कालेज विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य (एस.एल.पी. सिविल) 2969-2979/2011)</u> के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 06.09.2017 को एम.डी./एम.एस. (पी.जी.) कोर्स की फीस रूपये 24 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित कर दी गई थी जो कि पूर्व में संबंधित राज्य की फीस समिति द्वारा निर्धारित फीस से लगभग 7 गुना अधिक थी, को इसी आधार पर कि वह ए.एफ. आर.सी. द्वारा निर्धारित नहीं है, अत्यधिक बढ़ी हुई है जिसका कोई समुचित आधार नहीं है यह उल्लेखित करते हुए संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया और इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के

न्यायदृष्टांत P.A. Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) में पारित निर्णय के अनुसार कि शैक्षणिक संस्थायें व्यवसायिक और लाभ कमाने की संस्था नहीं है इसी आधार पर फीस की अत्यधिक वृद्धि के आदेश को निरस्त कर दिया और ली गई फीस को समायोजित करने का नहीं, बल्कि वापस किये जाने का आदेश दिया। इस तरह संस्था की ओर से प्रस्तुत किये गये वित्तीय आंकड़ों के आधार पर उनकी फीस का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है, इसलिए अन्य आधारों पर ध्यान देकर फीस का निर्धारण किया जा रहा है।

20. भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो होलसेल प्राईस इण्डेक्स वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 106.9, वर्ष 2013-14 में 112.5, वर्ष 2014-15 में 113.9, वर्ष 2015-16 में 109.7, वर्ष 2016-17 में 111.6, वर्ष 2017-18 में 114.9, वर्ष 2018-19 में 119.8, वर्ष 2019-20 में 121.8, वर्ष 2020-21 में 123.4, वर्ष 2021-22 में 139.4 वर्णित है।

21. इसी तरह कंज्युमर प्राईस इण्डेक्स 2012 को आधार वर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 102.5, वर्ष 2013-14 में 112.2, वर्ष 2014-15 में 118.9, वर्ष 2015-16 में 124.7, वर्ष 2016-17 में 130.3, वर्ष 2017-18 में 135.9, वर्ष 2018-19 में 139.6 मानते हुए लगभग प्रतिवर्ष 6.04 औसत इन्फ्लेशन दर का अनुमान लगाया।

22. इसी तरह इन्फ्लेशन इण्डेक्स का भी उल्लेख यहां किया जाना समुचित है जिसमें वर्ष 2001-02 को आधार वर्ष मानते हुए गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में 200, वर्ष 2013-14 में 220, वर्ष 2014-15 में 240, वर्ष 2015-16 में 254, वर्ष 2016-17 में 264, वर्ष 2017-18 में 272, वर्ष 2018-19 में 280,

वर्ष 2019-20 में 289, वर्ष 2020-21 में 301, वर्ष 2021-22 में 317, एवंवर्ष 2022-23 में 331 वर्णित है। इस तरह 2019-20 के पश्चात् 289 से 331 अंक पाये गये।

23. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है। इस राज्य में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,04,943/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रतिव्यक्ति आय रू. 1,24,685/-है, महाराष्ट्र में वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,93,121/-है एवं भारत की वर्ष 2012 से 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,50,000/-है।

24. जैसा कि उपर प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ धनी राज्यों की श्रेणी में नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता अत्यधिक खर्च उठाने के लिए सक्षम भी नहीं है और फीस निर्धारण करने के समय छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। संबंधित महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा छ.ग. की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को विचार में रखते हुए जबकि छ.ग. राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आमदनी अन्य वर्ग की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होती है, को विचार में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, के छात्र कम से कम अपने राज्य में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके।

25. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और कॉलेजों की फीस निर्धारण के लिए समुचित स्टेटिकल टूल्स के आधार पर संस्था और छात्र दोनों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए समिति का यह सुझाव है कि शिक्षण संस्थाओं में केपिटल एक्सपेंडिचर प्रारंभ में एक बार ही सामान्य तौर पर किया जाता है। चूंकि शिक्षण संस्था द्वारा पूर्व में बीएएमएस का कोर्स संचालित किया जा रहा था, जिसकी फीस का निर्धारण एवं बाद

में पुनर्निर्धारण किया गया है। गत वर्ष ही संस्था की बीएएमएस (स्नातक) की फीस का पुनर्निर्धारण किया गया जो रू. 1,36,000/- निर्धारित की गई है। जैसा कि उपर ही उल्लेखित किया जा चुका है कि इसी कॉलेज के स्नातक के समय के संसाधनों का उपयोग स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिये किया जा रहा है और जैसा कि उपर शैक्षणिक आवश्यकता का वर्णन किया गया है तो स्नातक की पढ़ाई के लिये जितनी फैकल्टी की आवश्यकता है यदि संस्था में उतनी फैकल्टी पूर्व से रहती तो उन्हें अतिरिक्त फैकल्टी को नियुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इस तरह जो 08 असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या में वृद्धि हुई है वह स्नात्कोत्तर कक्षाओं के उद्देश्य से की गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ मशीन एवं पुस्तकों एवं कुछ संरचना जैसे सेमीनार हॉल, चैम्बर आदि की अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी। इस तरह अनुमानतः 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय आने की संभावना आंकी जा सकती है। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी स्नातक और स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस उसी संस्था में बहुत अधिक अंतर नहीं है। इस तरह स्नातक कोर्स की फीस जो निर्धारित है उससे 25 प्रतिशत ही अधिक शुल्क समुचित परिलक्षित होता है। पूर्व में फीस का पुनर्निर्धारण समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है इसलिये अतिरिक्त पुस्तकों, मशीनों एवं नई संरचना के संबंध में ही विचार करते हुए स्नातक पाठ्यक्रम की जो फीस निर्धारित की गई है उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि ही स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के लिये किया जाना समुचित होगा, जिससे मुद्रास्फीति और अन्य उपर वर्णित तथ्यों की भी पूर्ति हो जावेगी।

26. तद्नुसार यह समिति महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईंस, ग्राम-सुन्दरा, जी.ई. रोड़, राजनांदगांव छ.ग. में संचालित आयुर्वेद स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम हेतु फीस का निर्धारण उसके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए निम्नानुसार किया जाता है:-

स. क्र.	राज्य के निजी आयुर्वेद स्नात्कोत्तर कॉलेज का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का निर्धारण किया गया	श्रेणी	कुलफीस प्रतिवर्ष/प्रतिछात्र (सम्मिलित ट्यूशनफीस, लायब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, ग्रोथ एवंडेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी अन्य फीस)
1	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईंस, ग्राम-सुन्दरा, जी.ई. रोड़, राजनांदगांव	2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027	अच्छा	रू. 1,70,000/-

27. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें। यह स्वैच्छिक है। छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि"(N0 PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा।

28. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी। प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी।

29. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई. डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, स्किलैब, एन.एस.एस., भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी।

30. संस्था छात्र से रू. 2000/- (रूपए दो हजार मात्र) प्रतिछात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।

31. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

32. यह फीस शिक्षण सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगी एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम अवधि के लिए लागू रहेगी।

33. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा।

34. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।

35. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं कराया जाना है। केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।

36. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू. 10/-(रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रू. 15/- (रूपये पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी।

37. WP(C)1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी। अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

38. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी।

39. संस्था प्रतिवर्ष गतवर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी।

40. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 26 से 39 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे।

41. अतः यह समितिं महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद साईंस, ग्राम-सुन्दरा, जी.ई. रोड़, राजनांदगांव (छ.ग.) के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हुए कंडिका-26 के अनुसार उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु संचालक, आयुष छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर की ओर भेजी जाएं।

(प्रभात कुमार शास्त्री)	(डॉ.यू.एस.पैकरा)	(योगेश वर्ल्यानी)	(सैयद अफसर अली)
अध्यक्ष	पदेन सदस्य	सदस्य (वित्त)	सदस्य (विधि)
ए.एफ.आर.सी.	(संचालक चिकित्सा शिक्षा)	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ.आर.सी.
	ए.एफ.आर.सी.		